>

Title : Need to impress upon State Governments to set up institutions to look after the educational needs of the children in accordance with the spirit of the Right to Education Act.

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी): देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के मामले में शिक्षा अधिकार कानून वर्ष 2010 से लागू है पर बच्चों की शिकायतों पर ध्यान देने के प्रावधान के बावजूद इस पर कुछ राज्यों में अमल नहीं हो रहा है। शिकायतों के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन पर कुछ राज्यों में बच्चों की शिकायतों की सुनवाई के लिए तंत्र स्थापित नहीं किए हैं।

दूसरी ओर देश में कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, वह पांचवी कक्षा तक 2 से 10 तक का टेबल कंठस्थ नहीं कर पाते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वे बमुश्किल शब्दों को जोड़कर वाक्य बना पाते हैं, जो अत्यंत चिंता की बात है।

मेरी मांग है कि गिरते शिक्षा स्तर को सुधारने हेतु एवं बच्चों की शिकायतों को दूर करने के लिए अविलम्ब आवश्यक सभी कदम उठाये जायें, जिससे अध्ययनरत बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।